म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन,भोपाल

कमांक–बी–3/2/ऋण/75/पार्ट/236   भोपाल, दिनांक 31/07/2006

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
........................जिला......................

विषयः– नई ऋण नीति अनुसार नवीन ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने बावत्।

–0–

प्रायः यह देखने में आया है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के प्रांगण विकास/निर्माण कार्यो हेतु ऋण स्वीकृति के जो प्रकरण/प्रस्ताव भेजे जाते है, उनमें अनेक कमियां होती है, जिसकी पूर्ति हेतु मण्डी समितियों को बार–बार लिखना पड़ता है। इस कार्यवाही के कारण ऋण स्वीकृति के प्रकरण में विलम्ब होता है, जिसका असर मण्डी समितियों के विकास कार्यो पर भी पड़ना स्वाभाविक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऋण स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ निम्न जानकारियों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर संभागीय उपसंचालकों की स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजें।

(1) म0प्र0कृषि उपज मण्डी(मण्डी निधि लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथा अन्य विषय) नियम 1980 के नियम–63 (1) में निर्धारित प्रारूप 14 में जानकारी दी जावेगी। प्रारूप 14 के बिन्दु 1 में मण्डी समिति के नाम के साथ–साथ मण्डी का वर्ग भी अंकित किया जावेगा।

(2) मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/ठहराव की सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति।

(3) मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान जिसमें प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं पूर्व में उपलब्ध सुविधायें पृथक–पृथक रंगों में अंकित हो

(4) प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सत्यापित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति। जिसमें कार्यो के आकार–प्रकार अंकित हो।

(5) शासन द्वारा मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण घोषित होने संबंधी अधिसूचना की प्रति।

(6) यदि ऋण उपमण्डी प्रांगण के लिए हो तो उपमण्डी कियाशील है या नहीं। इस संबंध में उपमण्डी की गत 3 वर्षो की आवक, आय–व्यय की जानकारी।

(7) मण्डी की गत तीन वर्षो की आवक, आय–व्यय एवं बचत की जानकारी।

(8) मण्डी के पास वर्तमान स्थिति में उपलब्ध चालू निधि एवं स्थायी निधि की जानकारी।

(9) पूर्व में प्राप्त तथा बकाया ऋण/ब्याज की जानकारी बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्षवार एवं कार्यवार

(10) बकाया बोर्ड शुल्क की जानकारी।

(11) पूर्व में प्राप्त ऋण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, कार्यपालन यंत्री से सत्यापित।

(12) कार्यपालन यंत्री, का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र स्पष्ट अभिमत सहित।

(13) मण्डी में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान हो रहा है या नहीं? तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(14) प्राप्त किये जाने वाले ऋण की पुर्नभुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र सचिव द्वारा प्रमाणित।

(एम0ए0खान)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–बी–3 / 2 / ऋण / 75 / पार्ट / 237 भोपाल, दिनांक 31 / 07 / 2006

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.................... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आपके अनुशंसा से मुख्यालय को भेजे जाने वाले मण्डी समितियों को बोर्ड ऋण स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों का पूर्ण परीक्षण आप अपने स्तर पर ही कर ले कि ऋण स्वीकृति हेतु आवश्यक समस्त जानकारी मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई है अथवा नहीं। जानकारी पूर्ण होने पर ही प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भेजें। अपूर्ण प्रस्ताव अपने स्तर से ही मण्डी समिति को वापस करें।

31/7

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल